HAJJIN SADIKA BEGUM DEGREE COLLEGE
RAMPUR ROAD, BHARGAIN

कॉलेज कोड:-
426

मरहूम हज्जिन सादिका बेगम

अल्पसंख्यक संस्था

हज्जिन सादिका बेगम महाविद्यालय

(सम्बद्धः डॉ.भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

भरगैन, कासगंज (उ.प्र.)

विवरणिका

निदेशक की कलम से

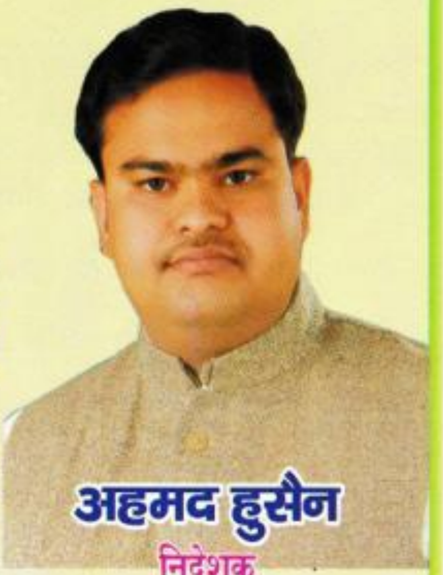

हज्जिन सादिका बेगम महाविद्यालय, राजा का रामपुर रोड, भरगैन, कासगंज की स्थापना कॉलेज के सचिव सहृदय, मृदुभाषी, शिक्षाविद श्री मुहम्मद हुसैन जी के द्वारा क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन एवं निर्धन साधन रहित छात्र, विशेषकर छात्राएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जिससे उनकी प्रतिभा कुंठित रहती है एवं सम्मानित माता-पिता अभाव एवं अफसोस के साथ जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय की नींव अपने समाज सेवी, मृदुभाषी पिता जनाब अहमद नफीस जी (चैयरमैन भरगैन, कासगंज) की प्रेरणा आशीर्वाद से उच्च शिक्षा की स्तरीय व्यवस्था के साथ इस महाविद्यालय की नींव रंखीं। यहाँ की विशिष्ट गुरु परम्परायुक्त शिक्षा एवं सुव्यवस्थित, अनुशासित सुन्दर वातवरण भारत के सुसंस्कारित गुरुकुल परम्परा की याद को ताजा कर देंगें।

अहमद हुसैन
निदेशक
मोबा. 9536101786

महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं शिक्षा संकायों के लगभग सभी प्रमुख विषयों के अध्ययन की सुविधाऐं हैं शिक्षार्थियों का सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक दोनों प्रकार का विकास हो इसके लिए सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मानक अनुसार प्रयोगशालायें हैं। यही नहीं प्रत्येक भाग के पृथक-पृथक पुस्तकालयों के दिशा निर्देशन के लिए एक केन्द्रीय पुस्तकालय भी हैं।

विशाल क्रीड़ा स्थल के प्राकृतिक मनोहारी वातावरण में छात्र/छात्राओं के शारीरिक, बौद्धिक विकास के साथ-साथ भारतीय सुसंस्कारों द्वारा चरित्र निर्माण का पूरा ध्यान रखा गया है। जिसमें निश्चित ही भविष्य में इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राऐं प्रशासनिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सेवा कार्यो से स्वच्छ व ईमानदार वातावरण युक्त सुविकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसकी आज अति आवश्यकता है।

डॉ० संजय दीक्षित
प्राचार्य
मोबा. 9627861000

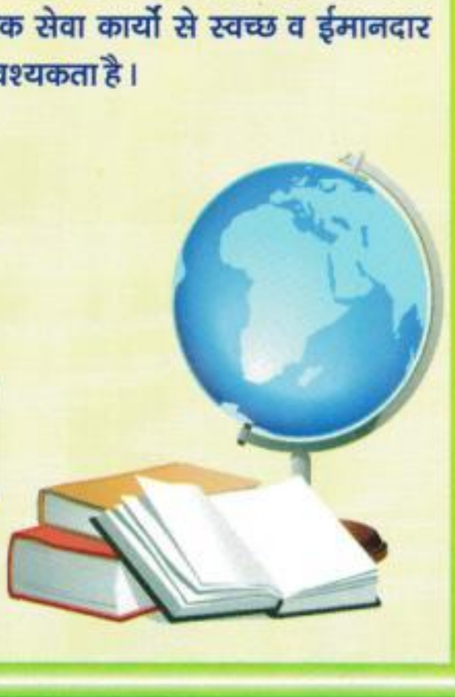

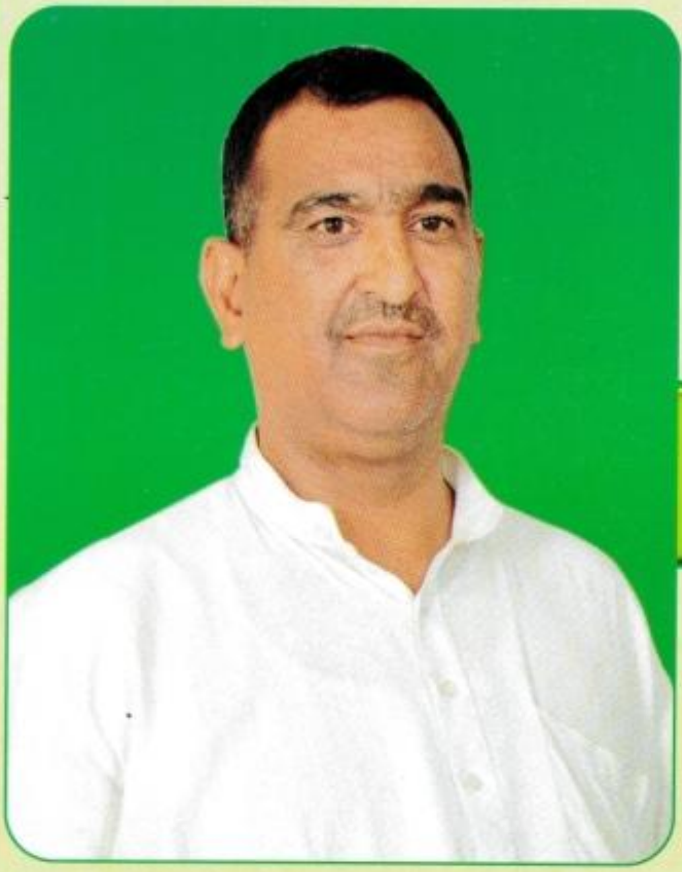

अहमद नफीस "कालिया"

संस्थापक

मुहम्मद आरिफ

प्रबन्धक

मो॰ 8000002059

B.Com, MBA(HR), BTC

सचिव जी का सन्देश

प्रथम आप सभी इण्टमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनायें।

आपकी जिज्ञासा को शान्त करते हुए हमें हर्ष ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा है कि इस शैक्षिक पिछड़े क्षेत्र के छात्र/छात्रायें धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने का दम्भ झेलते रहे एवं अपने आत्म सम्मान की रक्षा (उच्च शिक्षित न हो पाने के कारण) नहीं कर पा रहें हैं। ऐसे छात्र/छात्राऐं महाविद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में स्वयं को स्थापित कर आने माता–पिता का मान बढ़ावें।

जिन समस्याओं को ध्यान में रखकर मुझे यहाँ महाविद्यालय बनाने का विचार आया था आज सभी सहयोगियों के अथक प्रयासों से पूर्ण हो सका है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त करने के बाद महाविद्यालय उन सभी पाठ्यक्रमों को लाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। जो आज अति आवश्यकता बने हुए हैं। महाविद्यालय के उच्च शैक्षिक वातावरण, अनुशासन एवं संस्कारों से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर छात्र/छात्राऐं, उच्च प्रशासनिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पदों पर सुशोभित होंगे। उस दिन महाविद्यालय की स्थापना का सपना साकार होगा इस पुनीत कार्य हेतु आप सभी का सहयोग परम् आवश्यक है।

" आपका सहयोग ही हमारी सफलता का अधार है।"

मुहम्मद हुसैन

(सचिव)

संचालित पाठ्यक्रम

बी.ए. एवं बी.एससी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के बी.ए. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होगा।

बी.ए. एवं बी.एससी. प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय (राष्ट्रीय गौरव) और (पर्यावरण विषय) की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी।

कला संकाय

(1) बी.ए. प्रथम वर्ष में उपरोक्त विषय में से तीन विषय लेने अनिवार्य होगें

(2) बी.ए. तृतीय वर्ष शैक्षिक विषयों में से किसी एक विषय को छोड़ना अनिवार्य होगा।

(3) हिन्दी अंग्रेजी (भाषा और साहित्य) के दोनों विषयों के साथ उर्दू विषय में से किसी एक विषय को नहीं लेना पड़ेगा।

विषय

1. हिन्दी भाषा	2. हिन्दी साहित्य	3. अंग्रेजी साहित्य	4. अंग्रजी भाषा
5. अर्थशास्त्र	6.उर्दू	7. समाज शास्त्र	8. भूगोल
9. राजनीति शास्त्र	10. एजूकेशन	11. होम साइन्स	

नोट- केवल विकलांगों को शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद पाठ्यक्रम से छूट होगी। इसके लिये चिकित्साअधिकारी से सत्यापित प्रमाण-पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

विषय परिवर्तन- विद्यार्थी चयनित विषयों का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा उनमें कक्षायें प्रारम्भ होने के दस दिन के अन्तर्गत परिवर्तन करा सकेगा। इसके बाद किसी प्रकार का प्रिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

विज्ञान संकाय- बायो तथा मैथ

अनिवार्य विषय प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण शिक्षा निम्नलिखित (Group) वर्ग में से किसी एक वर्ग को चुनना होगा विद्यार्थी चयनित वर्ग को वरीयता क्रम में आवेदन पत्र में लिखे

वर्ग-1 भौतिकी, रसायन, गणित (PCM)

वर्ग-2 जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान (ZBC)

बी.एससी. तृतीय वर्ष बायो एवं मैथ Group तीन विषयों में से किसी एक विषय को छोड़ना होगा।

वाणिज्य संकाय- (Faculty of Commerce)

1. कॉमर्स
2. एकाउंटिंग एण्ड ऑडिटिंग
3. एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन एण्ड सेल्स मैनेजमेन्ट
4. बैंकिंग एण्ड ऐंन्सोरेंस
5. फोरेन ट्रेड
6. ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सीक्रेट्रिअल असिस्टेन्स
7. टैक्सेसन

प्रवेश प्रक्रिया

- विश्व विद्यालय के निर्देशानुसार छात्र को प्रवेश हेतु प्रथम प्रक्रिया में छात्र को अपना बेब रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक कराना होगा। अन्यथा वह किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- विश्वविद्यालय के बेब रजिस्ट्रेशन की साईड www.dbrau.org.in पर अपना बेब रजिस्ट्रेशन 100 रु चालान फीस जमा करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय की विवरण पुस्तिका महाविद्यालय के कार्यालय से खरीदनी होगी जिसका मूल्य रूपये 150/- और डाक द्वारा मंगवाने पर रूपये 180 निर्धारित हैं।
- विवरण पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन करके उसके अन्त में लगे आवेदन पत्र को पूर्ण करके आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करके जमा करना अनिवार्य है।
- प्रवेश योग्यता सूची (मैरिट) या सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा। विषयों का चयन करने से पूर्व छात्र एवं छात्राऐं विवरणिका का भली भांति अध्ययन कर लें।
- किसी भी छात्र-छात्रा को प्रवेश देने से अस्वीकार करने का महाविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्देश

1. आवेदन पत्र अभ्यर्थी अपने हाथ से स्वयं सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से भरें।
2. आवेदन के साथ संलग्न करें-

(क) उत्तीर्ण की गई अर्ह परीक्षाओं की सत्यापित प्रतियाँ
(ख) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति
(ग) चरित्र प्रमाण -पत्र की मूल प्रति
(घ) पासपोर्ट साइज के नवीनतम दस रंगीन फोटो
(ड़) अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र

3. साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ अपने साथ लायें।
4. प्रवेश आवेदन पत्र को कार्यालय में जाँच कराने के पश्चात् पंजीकरण शुल्क रूपये 10/- के साथ कॉलेज में जमा करें।
5. प्रवेश तिथि के एक सप्ताह के अन्दर शुल्क कॉलेज कार्यालय में जमा करना होगा।

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली

सत्र 20........ - 20

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के आधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों मे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रम/विषयों मे दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तरप्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है। और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा माननीय कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपना विवरण पुस्तिका ''प्रोसपेक्टस'' तैयार करायेगा, जिनमें प्रवेश नियमो, निर्धारित शुल्क तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका मे संलग्न होगें। सभी कक्षाओं की एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें।

   (ब) विवरण पुस्तिका मे सत्र 2015-16 के लिये प्रत्येक कक्षा मे निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटो का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा मे 21% स्थान अनुसूचित जातियो, 27 % स्थान पिछड़ी जातियों, 2% अनुसूचित जनजातियों तथा 3% स्थान विकलांगो के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगो के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

   (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों मे विवरण पुस्तिका का रूपये 75/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रूपये 100/- लिया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2015-16 के लिये कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओ के प्रथम वर्ष के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष'' चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम मे,ही प्रवेश दिये जायेगें यदि छात्र अन्य किसी वर्ष मे उक्त पाठ्यक्रमो के किसी विषय मे प्रवेश लेना चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम मे, केवल उन विषयो मे जिसमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकते है।

   (ब)महाविद्यालयो मे मे एल.एल.बी.प्रथम वर्ष तथा एल.एल.एम. प्रथम वर्ष मे प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेगे। जिन्होने स्नातक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किये है। पंचवर्षीय एल.एल.बी.पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु अर्हता 10+2 होगी, जिसमे स्नातक परीक्षा मे 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियो के छात्रो के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानको के आधार पर श्रेणियो के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूची बनाई जायेगी। ऐसी सूची मे 30% अभ्यार्थी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित छात्र भी होगें, जिनको योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेगें। किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-64-15/66/89 दिनांक-30/07/1994 में उल्लेखित प्रावधानो का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

   (स) सभी संकायो की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओ मे प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रो के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 21 जुलाई होगी तथा शुल्क आदि जमा करके प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई होगी। ऐसे अभ्यार्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेगें।। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

महाविद्यालय के खुलने की तिथि-	16 जुलाई, 201......
प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु पंजीकरण की अन्तिम तिथि	10 जुलाई,201......
स्नातक स्तर की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ के उत्तरार्द्ध की कक्षाये प्रारम्भ करने की तिथि-	1 अगस्त, 201...
प्रथम वर्ष के लिए शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रवेश की अन्तिम तिथि-	
प्रथम वर्ष की कक्षाये प्रारम्भ होने की तिथि-	1 अगस्त, 201....

   (द) सत्र 2015-16 म प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश होगा हेतु सम्बन्धित माहाविद्यालय से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान रिक्त है तथा प्रवेशार्थी समस्त वैधानिक प्रतिबन्ध को पूर्णतः करता है।

3. (अ) प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कालेज सूचना पटल (नोटिस बोर्ड)पर लगा दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश ले।

   (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओ के द्वितीय/तृतीय वर्ष मे सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओ में उत्तीर्ण होने वाले छात्रो को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

   (स) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जिन्होने स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की या स्नातक प्रथम वर्ष की या स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा के रूप उत्तीर्ण की हो। और कम से कम 50 % अंक प्राप्त किये हो, द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष मे संस्थागत छात्र के रूप मे लिये अर्ह होंगे।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप मे प्रवेश नही ले सकेगे।

   (ब) किसी कक्षा मे अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप मे प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप मे परीक्षा मे सम्मिलित हो सकेगें।

   (स) यदि छात्र किसी पाठ्यक्रम मे प्रवेश के इच्छुक है और उसकी परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा मे प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल नियमित पाठ्यक्रम 4 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। यदि छात्र एल.एल.बी./एल.एल.एम. पाठ्यक्रमो मे प्रवेश का इच्छुक है और छात्र का उत्तीर्ण पाठ्यक्रम मे अन्तराल हो तो ऐसे अभ्यर्थी अन्तिम नियमित परीक्षा मे अधिकतम 5 वर्ष के अन्तराल पर प्राचार्य/प्राचार्या छात्र के प्रवेश पर विचार कर सकते है। किन्तु डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध महाविद्यालयो में सेवारत अध्यापको/कर्मचारियों, भारतीय सेना मे सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध से छूट होगी।

   (द) ऐसे सभी छात्र जिन्होने एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल0एल0एम0 कक्षा छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा मे संस्थागत छात्र के रूप मे प्रवेश पाने के अधिकारी नही होगे।

   (य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा मे संस्थागत छात्र के रूप मे प्रवेश ले चुके हो, परन्तु जिन्होने सत्र के बीच मे पढ़ाई छोड दी हो या परीक्षा मे सम्मिलित न हुये हो, महाविद्यालय की किसी भी कक्षा मे पुनः प्रवेश नही पा सकेंगे। ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेगे।

   "यह प्रतिबन्ध उन छात्रो पर लागू नही होगा, जिन्होने संस्थागत छात्र के रूप मे कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय मे प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया हो अथवा जिन्हे भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप मे सम्मिलित होने की सुविधा ना हो।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय -19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश -2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें।:-

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any application to any class in this college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principals, if any laid down by the University. Provided that the Principal may at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principals laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forth with."

स्पष्टीकरणः

उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध मे पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

4. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

(1) बी0एससी0 फिजीकल सांइस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी0एससी0 लाइफ सांइस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी0एससी0 कृषिके लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित परीक्षा में उत्तीर्ण

(4) बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण ।

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एससी0 (कृषि)/ परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।

(स) कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकायों की स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम वर्ष के लिये त्रिवर्षीय डिग्री धारक अथवा ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किये हुये द्विवर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थी अर्ह होंगे, लेकिन इस प्रतिबन्ध से ऐसे अभ्यर्थियों को छूट, होगी जिन्होने वर्ष 1985 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. ये 10+2+2 सिस्टम में उपाधि ले रखी है। कृषि संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता 1986 तथा इससे पूर्व 10+2+3 तत्पश्चात् 10+2+4 होगी।

(द) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:

(1) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालय एवं उन्ही जनपदो के इण्टरमीडिएट कॉलेजो से आने वाले उन अभ्यार्थीयो को 80 प्रतिशत स्थानो पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रो ने 10 एवं 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थिति इण्टरमीडिएट कॉलेजो से उत्तीर्ण की हो किन्तु एम0एससी0 कृषि के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू0पी0 आगरा मण्डल से उत्तीर्ण होना आवश्यक नही है।

(2) शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यता के ऊपर के भाग (1) के अभ्यार्थी से अधिक हो।

(3) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2002 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों मे प्रवेश दिया जायेगा।

(4) भाग-2 तथा 3 में रिक्त स्थानो की पूर्ति भाग-1 के अभ्यार्थी से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(5) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेन्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों के जिन्हे सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्तअनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

(1) अधिष्ठाता विदेशी छात्र। (2) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य -चक्रमानुसार।

(3) एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसिन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट- कोई भी महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश " प्रोवीजनल" भी नही देगा।

(6) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में शिक्षण सत्र 2015-16 मे किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किये जायें।

(7) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

6. शैक्षिक अंको की गणनाः

(क) स्नातक कक्षाएँ :-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 50 प्रतिशत

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:-

1.इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 50 प्रतिशत

2.स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको का 100 प्रतिशत।

नोट- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 10+2+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है यदि विद्यार्थी ने हाई स्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उनके प्राप्त अंको की 50 प्रतिशत गणना के लिये जायेंगे।

6. (ब) अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंको, जहाँ अनुमन्य हो को जोड़कर योग्यता सूची

(क) स्नातक कक्षाएँ :-

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5 अंक

2. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण -पत्र उत्तीर्ण कैडिटो को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैडिटो को 6अंक

अथवा

एन०सी०सी० कैडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।3 अंक

3. स्वतंत्राता सैनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:-

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता मे भाग लेने हेतु 5 अंक

2. एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैडिटो को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण कैडिटो को 6अंक

अथवा

एन०सी०सी० कैडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पो मे भाग, लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. एन०एस०एस० में 240 घण्टे कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

4. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय म रैली मे भाग लिया हो। 5 अंक

नोट- उपर्युक्त 1 से 4 सन्दर्भ मे शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एन०सी०सी० अधिकारी एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण -पत्र/ रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

1. इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों मे सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/ पत्नी/ पुत्री तथा कृषि संकाय मे स्थायी परियोजना के स्थाई कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री 17 अंक

2. भारतीय सेना मे सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्री 10 अंक

3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदो के पुत्र/पुत्री/विधवाओ को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी:

1 प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षिण एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा तथा यदि घोषणा गलत पाई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण-पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। अन्य कोई उल्लेख बाद मे विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोट- किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा मे इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा मे रहने का अधिकारी था।

4. (घ) एल०एल०बी (प्रथम वर्ष) मे केवल योग्यता क्रम के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(अ) शैक्षिणिक अंको की गणना (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु):

1. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 50 प्रतिशत

2. स्नातक परीक्षा मे प्राप्त अंको के प्रतिशत का 100 प्रतिशत।

नोट: त्रिवर्षीय डिग्री के प्राप्तांक अथवा द्विवर्षीय के प्राप्तांक के साथ ब्रिज कोर्स के प्राप्तांको को जोड़कर प्रतिशत निकाला जायेगा, जिन अभ्यर्थियो ने सन् 1985 से पूर्व प्रथम स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली है उनकी यह उपाधि इस तथ्य के बावजूद उनकी स्नातक डिग्री की अवधि जो कुछ रही हो, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष मानी जायेगी।

4. (ड़) एल०एल०एम० (प्रथम वर्ष):-

एल०एल०एम० प्रथम वर्ष मे प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिये जायेगें। योग्यता सूची शैक्षिणिक व अतिरिक्त अंको के आधार पर तैयार की जायेगी। (अ) शैक्षिक अंको की गणना:- एल०एल०एम० प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए विधि की सम्पूर्ण परीक्षा मे प्राप्त अंको का शत प्रतिशत। अतिरिक्त अंको की गणना:- एल०एल०बी/एल०एल०एम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता के अंको के साथ निम्नलिखित अंको को जोड़कर सूची बनाई जायेगी। लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुल योग 16 अंको से अधिक नही होगा।

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप मे अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता मे भाग लेने हेतु 5 अंक

2. एन०सी०सी० सर्टीफिकेट सी/जी -2 उत्तीर्ण 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० सर्टीफिकेट बी/जी -1 उत्तीर्ण 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० क्रेडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है। कैम्पो मे भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. एन0सी0सी0 मे 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

4. अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय मे सेवारत एवं सवित्त माहविद्यालय मे अनुबन्धित अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक दो वर्ष से अधिक लगातार सेवाओं में अनुबन्धित एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयजो उन पर आश्रित हो। 17 अंक

5. भारतीय सेना मे सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित)

नोट –1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व होने की दशा मे इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय सेवा रत समझा जाये, जब तक वह सेवा मे रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण- पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एन0सी0सी0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यार्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषय मे प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं मे 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यार्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने योग्यता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्य स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 70 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति का होगा, लेकिन उसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेंगे। कक्षा मे प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनो की संख्या पर आधारित होगी।

(द) विशेष परिस्थितियों मे कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसीभी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नही दी जायेगी जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों मे पढ़ाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी सदस्य अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना-पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेंगे।

(स) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बन्धित प्रचार्यो की समिति से सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी वार्डो को सभी कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है।

(घ) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का रहेगा।

(य) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा। कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचनापट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन अप-टू-डेट जानकारी रखें ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह होगा कि वह ऊपर दिये गए नियमों और विश्वविद्यालय के सम्बन्धित नियमों को भली भांति पढ़ लें। उनका यह दायित्व होगा कि वह यह अन्य सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोंण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

इस नियमावली के के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ/प्रपत्र निरस्त समझा जायेगा।

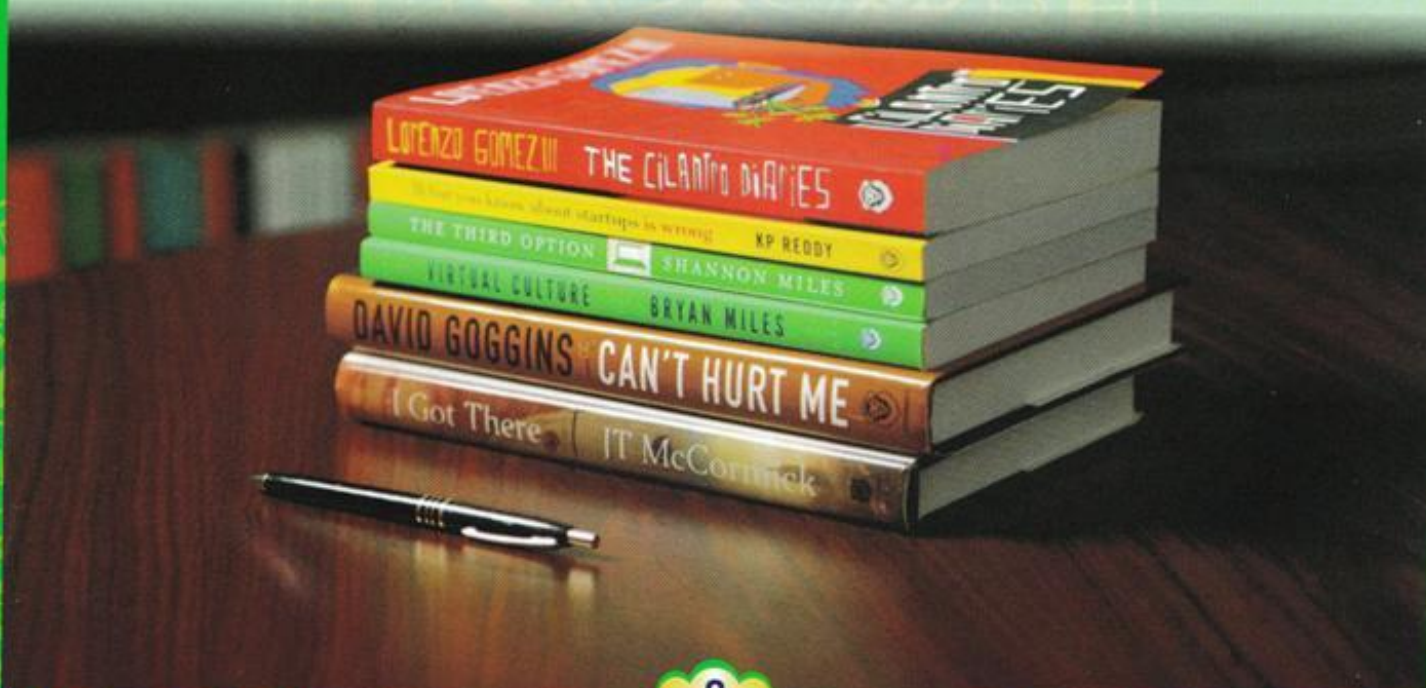

Check Your Enclosures (अपने संलग्नों की जाँच करें)

1. Attested 3 Photo Copy of High School Marks Sheet.
   हाई स्कूल की अंक तालिका की 3 प्रतिलिपि ।
2. Attested 3 Photo Copy of High School Certificate.
   हाई स्कूल की सनध की 3 प्रतिलिपि ।
3. Attested 3 Photo Copy of Inter Mediate Marks Sheet.
   इण्टर मीडिएट की अंक तालिका की 3 प्रतिलिपि ।
4. Attested 3 Photo Copy of Inter Mediate Certificate.
   इण्टर मीडिएट की सनध की 3 प्रतिलिपि ।
5. Original Transfer Certificate.
   वास्तविक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र ।
6. Original Character Certificate.
   वास्तविक चरित्र प्रमाण-पत्र ।
7. Caste Certificate.
   जाति प्रमाण-पत्र ।
8. Income Certificate.
   आय प्रमाण-पत्र ।
9. Six Photo.
   6 फोटो ।
10. Photo Copy of Bank Pass Book.
    बैंक की पास बुक की प्रतिलिपि ।
11. Address Proof (3 Photo Copy).
    निवास प्रमाण-पत्र की 3 प्रतिलिपि ।

DECLARATION (घोषणा)

I, Solemnly declare that the particulars furnished above are true and no information has been connected. In the event the above information found incorrect at any time, I would have no objection to remove my ward from the college.

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य है और कोई भी जानकारी असत्य नहीं है उपरोक्त जानकारी किसी भी समय गलत पाए जाने की स्थिति में मुझे विद्यालय से निरस्त करने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है।

Place ....

Date ....

.... Signature of Guardian

.... Signature of Student

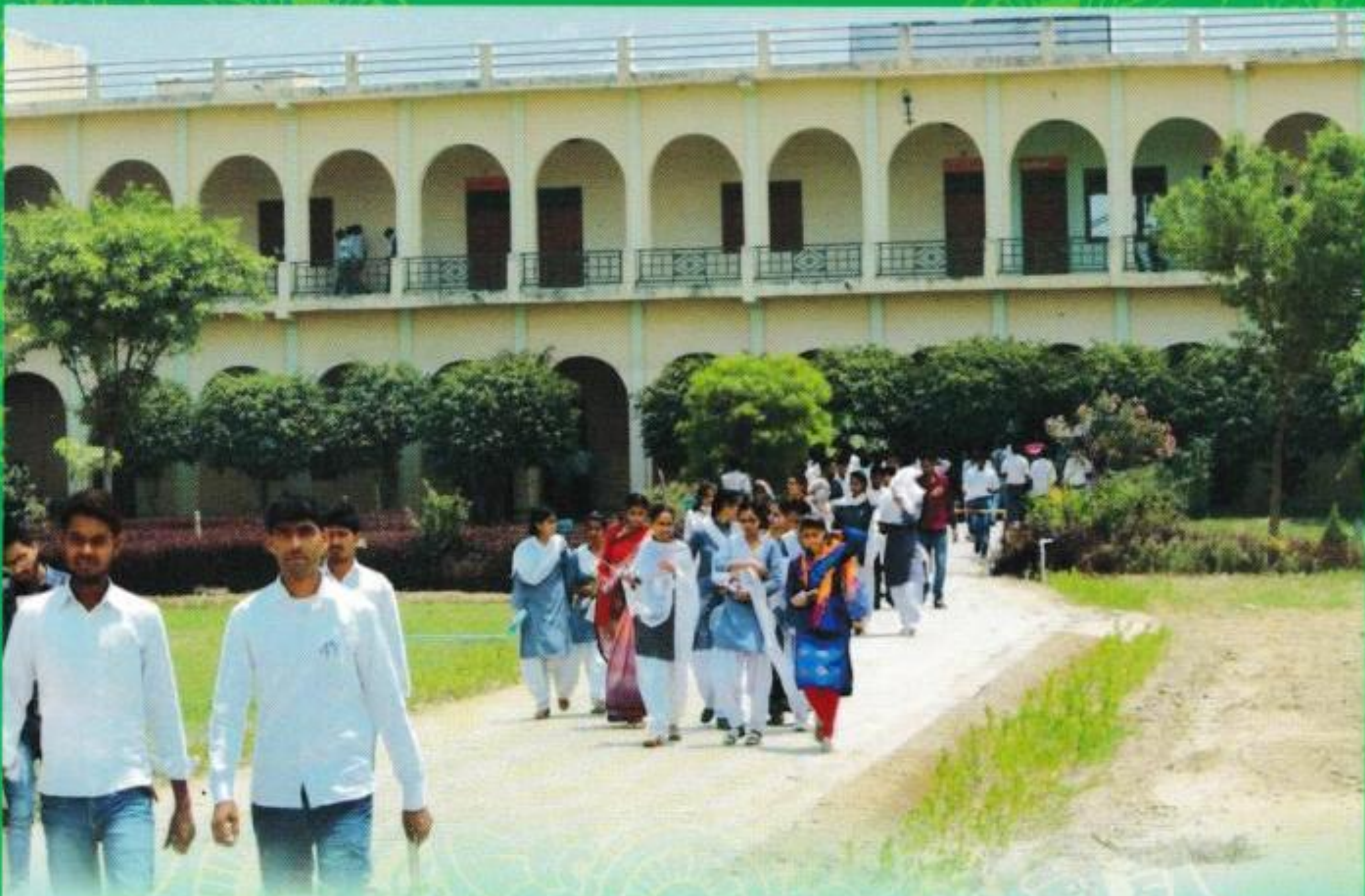

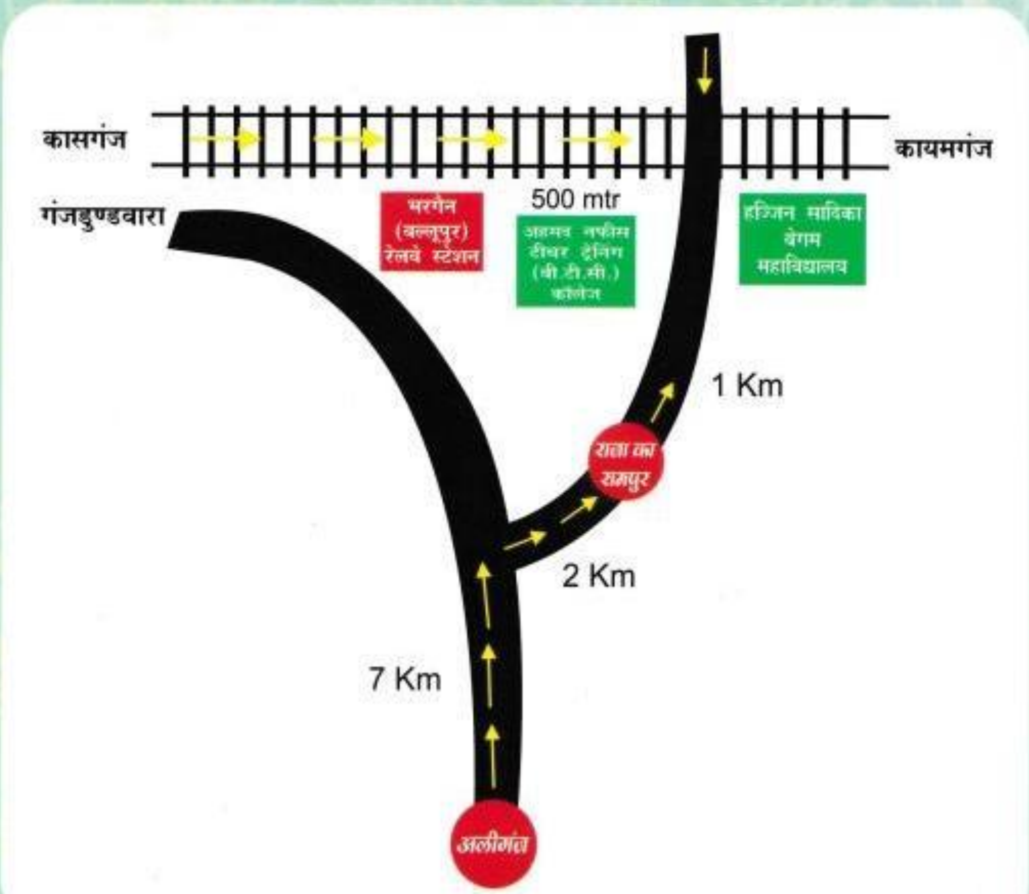
कासगंज
कायमगंज
गंजडुण्डवारा
भरगैन
(बल्लूपुर)
रेलवे स्टेशन
500 mtr
टीचर ट्रेनिंग
(बी.टी.सी.)
कॉलेज
हज्जिन सादिका
बेगम
महाविद्यालय
1 Km
राजा का
रामपुर
2 Km
7 Km
अलीगंज

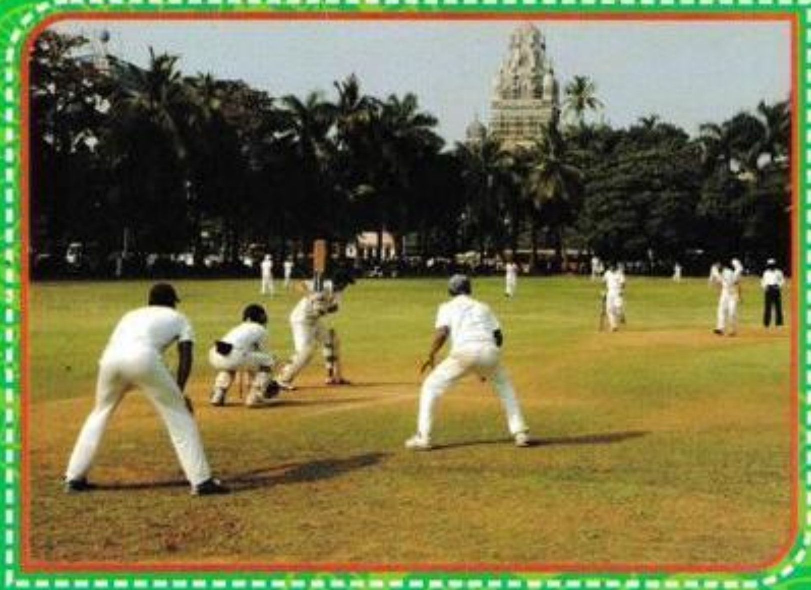

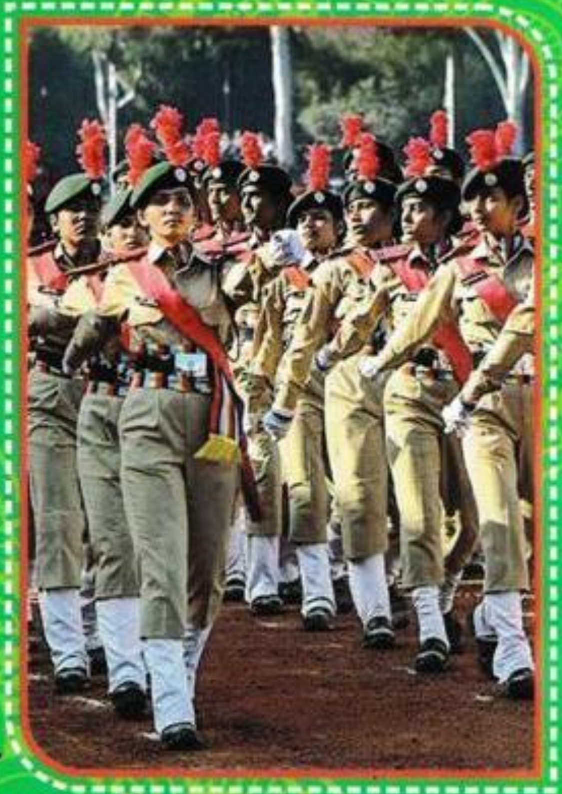

हजिन सादिका बेगम महाविद्यालय

भरगैन, कासगंज (उ.प्र.)

Mobile: 9536101786, 8000002059, 9627861000,
Telephone: 05740 251813
email: ahmedhussain720@gmail.com
www.hsbcollegebhargain.org

Designed & Printed at
Kudeshiya Press, Kasganj # 7454924570